(84)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 575–पीबीआर/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 09–01–2006 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 102/1988–89/निगरानी

....

बलवीर सिंह पुत्र हरचरणलाल
निवासी ग्राम बामरोल तहसील भितरवार
जिला ग्वालियर

.... आवेदक

विरूद्ध

1–मुस0भूरी विधवा पत्नी सरनामसिंह
2–गुड्डू पुत्री सरनामसिंह
3–मुन्नी पुत्री सरनामसिंह
4–गुड्डी पुत्री सरनामसिंह
5–लल्ला पुत्र सुराराम
6–दयाराम पुत्र सुराराम
निवासीगण ग्राम गोहिन्दा तहसील भितरवार
जिला ग्वालियर

.... अनावेदकगण

....

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक–आवेदक
श्री आर0एस0गौड़, अभिभाषक–अनावेदकगण

....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 14/6/2012 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–01–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 पति और अनावेदक कमांक 2 से 4 तक के पिता सरनामसिंह के द्वारा तहसील न्यायालय में एक आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम गोहिन्दा की भूमि सर्वे कमांक 569/1 रकबा 0.784 हेक्टेयर के भूमिस्वामी अनावेदक कमांक 5 व 6 है

और इस भूमि पर उनका निरन्तर कब्जा चला आ रहा है, इसलिये उनका कब्जा अंकित किया जावे । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 31–3–1987 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 1 से 4 तक के पूर्वगामी सरनामसिंह का कब्जा खसरा में अंकित किया जावे । इस आदेश के पारित किये जाने बाद दिनांक 4–4–87 को लाखनसिंह पुत्र हरचरण के द्वारा इस आशय का आवेदन तहसील न्यायालय के समक्ष पेश किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि उनके द्वारा भूमिस्वामी से कय की जा़ चुकी है, इसलिये उनको प्रकरण में पक्षकार बनाया जावे किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा आवेदन अस्वीकार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 31–3–1987 के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17–12–1987 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि प्रकरण में पहले स्थल जॉच की जावे और आवेदक को पक्षकार बनाकर उनका सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ही प्रकरण का अंतिम निराकरण कर आदेश पारित किया जावे । अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर तहसील न्यायालय का आदेश यथावत् रखा गया । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 9–1–2006 को आदेश पारित कर निगरानी अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के आदेश पारित करने के दिनांक के पूर्व आवेदक ने प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विकय पत्र द्वारा कय कर ली थी । विकेता भूमिस्वामी के अधिकार एवं स्वत्व विकय दिनांक को समाप्त होकर आवेदक को स्वत्व प्राप्त हो गये थे । अतः अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष विधि विपरीत है कि आवेदक को तहसील न्यायालय के आदेश की अपील करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि आवेदक

तहसील न्यायालय के आदेश के पूर्व ही भूमिस्वामी हो चुका था । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण तथ्यों एवं तहसील न्यायालय की कार्यवाही पर प्रत्येक दृष्टिकोण से विचार कर आवेदक को पक्ष समर्थन करने का अवसर देते हुये पुनः कार्यवाही करने के लिये प्रकरण प्रत्यावर्तित किया था, ऐसे न्यायसंगत आदेश को निरस्त करने में अधीनस्थ दोनों पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है । अतः अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में पारित समवर्ती आदेशों में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से तथा पारित समवर्ती आदेश विधिसम्मत् होने से स्थिर रखे जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक को पक्षकार नहीं बनाया गया है और ना ही स्थल निरीक्षण किया गया है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही गई है कि आवेदक को पक्षकार बनाया जाकर पुनः उभयपक्ष की साक्ष्य लेते हुये विवादित भूमि का स्थल निरीक्षण कर प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करें । जहॉ तक अपर कलेक्टर के आदेश का प्रश्न है अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि आवेदक तहसीलदार में पक्षकार नहीं था इसलिये उसे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था, जबकि प्रकरण में आये तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि क्रय की जाकर उसके द्वारा उसका कब्जा बतलाया जा रहा है इसलिये वह प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है और उसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी प्राप्त है, अतः अपर कलेक्टर का आदेश

वैधानिक एवं उचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अपर आयुक्त द्वारा भी इसी तकनीकी आधार पर अपर कलेक्टर के आदेश की पुष्टि की गई है इसलिये उनका आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–01–2006 एवं अपर कलेक्टर जिला द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–2–1989 निरस्त किये जाते हैं । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–12–1987 की पुष्टि की जाती है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

7/ यह आदेश प्रकरण कमांक निगरानी 576–पीबीआर / 2006 (बलवीरसिंह आदि विरूद्ध बादामसिंह आदि) पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक मूल प्रति उक्त निगरानी प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर